



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की सत्यापित छायाप्रतियों की आपूर्ति

1) मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियों की आपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

- i) डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रतियां परीक्षार्थियों को इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाएंगी।
- ii) उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति की मांग के लिए निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
- iii) मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति की मांग के लिए निर्धारित आवेदन पत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरा जाएगा तथा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- iv) मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ, संबंधित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से दस दिनों के भीतर परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा परीक्षार्थी जिसका परिणाम किसी भी कारण से रोक दिया गया हो, और जिसके खिलाफ अनुचित साधनों का सहारा लेने का मामला रिपोर्ट किया गया हो या जांच/विचाराधीन हो, उसे संबंधित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से दस दिनों के भीतर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो प्रति के लिए अपना आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।

विश्वविद्यालय विभागों के छात्र अपेक्षित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को सीधे आवेदन करेंगे तथा अपने आवेदन पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

बाहरी छात्रों को अपेक्षित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को सीधे आवेदन करना होगा।

- v) विद्यार्थियों द्वारा फीस विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से जमा की जाएगी।
- 2) शुल्क संरचना: प्रति उत्तर पुस्तिका 100/- (अतिरिक्त 50/- डाक व्यय यदि कोई है तो) ये शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।

3) मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रतियों के आपूर्ति से संबंधित शर्तें-

- i) उत्तरपुस्तिका के केवल लिखित भाग की छायाप्रति प्रदान की जाएगी। उत्तर पुस्तिका के खाली पृष्ठों की कोई छायाप्रति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ii) उत्तरपुस्तिका की छायाप्रतियां विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष या संबंधित पीठप्रमुख को भेजी जाएंगी, ताकि संबंधित परीक्षार्थीयों को उन्हें आगे जारी किया जा सके। विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष या संबंधित पीठप्रमुख, जैसा भी मामला हो, परीक्षार्थी से उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियों की प्राप्ति की लिखित पावती प्राप्त करेंगे। बाह्य छात्रों की उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियां

सेल द्वारा सीधे संबंधित परीक्षार्थी को आवेदन में उल्लिखित पते पर पंजीकृत ए.डी. द्वारा भेजी जाएंगी। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियां विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष या संबंधित पीठप्रमुख या संबंधित छात्र को, जैसा भी मामला हो, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियां आपूर्ति के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजी जाएंगी।


- iii) परीक्षार्थी इस प्रकार दी गई छाया प्रतियों का एकमात्र संरक्षक होगा तथा किसी भी उद्देश्य के लिए उसे किसी को हस्तांतरित नहीं करेगा। परीक्षार्थी को ऐसी फोटो प्रतियों का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को खतरा हो।
- iv) परीक्षार्थी द्वारा छाया प्रतियों के दुरुपयोग के मामले में, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 32(6) के प्रावधान के अनुसार ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- v) विभाग से विश्वविद्यालय को आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, "उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध कराने वाला प्रकोष्ठ" (जिसे आगे प्रकोष्ठ कहा जाएगा) उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेगा तथा निम्नलिखित का सत्यापन करेगा:
 - क) क्या दिए गए पेपर में परीक्षार्थी को दिए गए कुल अंक, अंक विवरण में दिए गए अंकों से मेल खाते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पेज पर परीक्षार्थी को दिए गए अंकों से है ?
 - ख) क्या उत्तर पुस्तिकाओं में सभी प्रश्नों के लिए प्रश्नवार दिए गए अंक कवर पृष्ठ पर सही ढंग से अंकित किए गए हैं ?
 - ग) क्या कवर पेज पर प्रश्नवार अंकों का योग सही है ?
 - घ) क्या उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए सभी उत्तरों या उनके भागों का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा किया गया है ?
 - ङ) कोई अन्य मामला जो विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।
- vi) यदि प्रकोष्ठ द्वारा उपर्युक्त खण्ड (v) में उल्लिखित किसी भी बिन्दु पर कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे प्रकोष्ठ द्वारा ठीक किया जाएगा।
- vii) यदि उत्तर पुस्तिका में कोई प्रश्न या उसका कोई भाग मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित नहीं पाया जाता है, तो उसका मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन उसी परीक्षक से कराया जाएगा तथा दिए गए अतिरिक्त अंक, यदि कोई हों, को कवर पेज पर अंकित किया जाएगा तथा अंकों की कुल संख्या में जोड़ा जाएगा। यदि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन करने वाला परीक्षक मृत्यु, त्यागपत्र या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं है, तो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन संबंधित संकाय के डीन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी अन्य परीक्षक से कराया जाएगा।
- viii) यदि कोई परिवर्तन, उपरोक्त खण्ड (v) में उल्लिखित मामलों में होता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विभाग/बाह्य परीक्षार्थी को सूचित किया जाएगा। संबंधित विभाग/बाह्य परीक्षार्थी को सूचना प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर अंकों का मूल विवरण विश्वविद्यालय को सौंपना

होगा। अंकों का संशोधित विवरण संबंधित विभाग/बाह्य को जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी, जैसा भी मामला हो, को विश्वविद्यालय को अंकों का मूल विवरण प्रस्तुत करने पर, बिना कोई शुल्क लिए, अंक प्रदान किए जाएंगे।

- ix) उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियां, आवरण पृष्ठ पर अंकित अंकों में सुधार करने के बाद, यदि कोई हो, तथा नियमों के अनुसार अनुग्रह अंक देने के बाद, तथा परीक्षक/संचालक/पुनर्मूल्यांकनकर्ता की पहचान छिपाते हुए, परीक्षार्थी को उपलब्ध कराई जाएंगी।
- x) प्रकोष्ठ का नामित अधिकारी उत्तर-पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर और मुहर लगाकर इसे प्रमाणित करेगा। नामित अधिकारी उत्तर-पुस्तिका की छाया कॉपी जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें उत्तर-पुस्तिका के लिखित भाग के सभी पृष्ठ शामिल हों।
- xi) परीक्षक/संचालक/पुनर्मूल्यांकनकर्ता द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के तरीके के संबंध में कोई शिकायत विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- xii) संबंधित परीक्षा के संबंध में मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रतियां उपलब्ध कराने में विफलता या देरी के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- xiii) विश्वविद्यालय के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रतियां उपलब्ध कराने में विफलता या देरी के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

सैद्धांतिक पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

- 1) सैद्धांतिक पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया:
 - i) कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के सैद्धांतिक पेपर की उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए तभी पात्र होगा, जब उसे उन उत्तर-पुस्तिकाओं की छाया प्रतियां प्राप्त हो जाएं।
 - ii) अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र अपेक्षित शुल्क के साथ, संबंधित विभाग/बाहरी छात्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियां प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
 - iii) उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्धारित आवेदन पत्र केवल अभ्यर्थी द्वारा ही भरा जाएगा तथा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
 - iv) अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छाया प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
 - आवेदन: क) संबंधित परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण ।
 - (ख) उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करना ।
 - v) विद्यार्थियों द्वारा फीस विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से जमा की जाएगी।
 - vi) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष पुनर्मूल्यांकन के लिए सभी आवेदनों को सामूहिक रूप से विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पांच दिनों के भीतर, पुनर्मूल्यांकन के लिए एकत्रित शुल्क की राशि के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से अग्रेषित करेंगे।



2) शुल्क संरचना:


i) 200 रुपये प्रति उत्तरपुस्तिका एवं 50 डाक व्यय यदि कोई है तो जमा कराना होगा।

3) सैद्धांतिक पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित शर्तें:

- i) यदि उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियां प्रदान करते समय अंकों के सत्यापन पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी को जारी की गई अंक सूची में मूल रूप से दर्शाए गए अंक सत्यापन के परिणामस्वरूप बदल गए हैं, तो परिवर्तित अंकों को पुनर्मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए मूल अंक माना जाएगा।
- ii) तथापि, प्रायोगिक परीक्षा/अवधि कार्य/आंतरिक मूल्यांकन/सत्रीय अंक/शोध प्रबंध/थीसीस/एमसीक्यू (प्रैक्टिकल परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न) और मौखिक परीक्षा आदि की प्रतिलिपियों के संबंध में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- iii) पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वालों को शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। हालाँकि, पुनर्मूल्यांकन के लिए अलग से निर्धारित शुल्क देय होगा। यदि आवेदन पर विचार नहीं किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्रवाई नहीं की जाती है तथा यदि संबंधित अभ्यर्थी धन वापसी के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है तो धन वापस कर दिया जाएगा।
- iv) पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके सैद्धांतिक पत्र की उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम उसके लिए बाध्यकारी होगा और उसे पुनर्मूल्यांकन के बाद अपने सिद्धांत पत्र में प्राप्त संशोधित अंक स्वीकार करने होंगे।
- v) पुनर्मूल्यांकन की शर्तें-
 - a) 05 प्रतिशत तक अंकों के आने पर पूर्व अंक ही मान्य होंगे।
 - b) 06 से 10 प्रतिशत तक अंकों के बीच अन्तर आने पर पुनर्मूल्यांकित अंक ही मान्य होंगे।
 - c) 10 प्रतिशत से अधिक अंकों के अन्तर आने पर तृतीय परीक्षक से मूल्यांकन करवाया जाएगा और तत्पश्चात् दोनों पुनर्मूल्यांकित परीक्षकों से प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा।
- vi) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किए गए पुनर्मूल्यांकन के बाद उम्मीदवार द्वारा प्राप्त संशोधित अंकों को विश्वविद्यालय के प्रासंगिक नियमों के अनुसार उसके परिणाम में संशोधन के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- vii) सैद्धांतिक पत्र की उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन, विद्यार्थियों को पिछली विश्वविद्यालय परीक्षा में उनके परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से प्रदान की गई एक अतिरिक्त सुविधा मानी जाएगी, यह समझा जाएगा कि किसी भी कारण से पुनर्मूल्यांकन परिणाम की घोषणा में देरी से, उन्हें अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए कोई अधिकार नहीं मिलेगा और ऐसे मामलों को हमेशा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार प्रासंगिक अध्यादेशों और नियमों या विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- viii) पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, यदि किसी अभ्यर्थी को अंकों की कमी/अनुग्रह अंकों की माफी का प्रावधान लगता है, तो उसे संबंधित अध्यादेश के अनुसार उस पर लागू किया जाएगा।

सामान्य शर्तें-

- 1) मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका को विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन माह की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा।
- 2) यदि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को विश्वविद्यालय में अवकाश होता है तो अगला कार्य दिवस अंतिम दिन माना जाएगा।
- 3) अपूर्ण/गलत आवेदन पत्र और/या अस्पष्ट प्रविष्टियों वाले तथा नियत तिथि के बाद विश्वविद्यालय में जमा किए गए आवेदन पत्रों को बिना किसी संदर्भ के तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा आवेदन पत्र के साथ भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 4) इस अनुलग्नक के किसी भी प्रावधान की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 5) विश्वविद्यालय के कुलपति को इस अनुलग्नक के किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न किसी भी संदेह, कठिनाई या विसंगति को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति होगी।





श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

दिनांक:

मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिका की प्रति के लिए आवेदन-पत्र

अभ्यर्थी को यह आवेदन-पत्र भरने से पहले अगले पृष्ठ पर दिए गए नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए।

यह आवेदन-पत्र केवल अभ्यर्थी द्वारा ही भरा और हस्ताक्षरित किया जाना है। अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र, साथ ही अपूर्ण आवेदन को बिना किसी संदर्भ के तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

1. अभ्यर्थी का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री.....
2. पिता/माता का नाम:
3. विश्वविद्यालय परीक्षा. रोल नं.
4. परीक्षा/पाठ्यक्रम: भाग I/II/III
5. सेम./वार्षिक/सप्लीमेंट: वर्ष: पास/फेल:

परीक्षा पेपर नं	पेपर का शीर्षक	प्रश्नपत्र की क्रम संख्या	परीक्षा की तिथि	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक

(घोषणा)

मैंने अगले पृष्ठ पर मुद्रित मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की आपूर्ति के संबंध में नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनके द्वारा शासित होने के लिए सहमत हूँ।

पता:

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पिन कोड:

दूरभाष सं./मोबाइल..

विभागाध्यक्ष

(रबर स्टाम्प सहित हस्ताक्षर)

नोट: अभ्यर्थी का हस्ताक्षर उसके द्वारा भरे गए परीक्षा फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए।

(विश्वविद्यालय द्वारा भरा जाना है)

सूचना सं.....

रुपये मिले.....

दिनांक: रसीद संख्या: दिनांक:

(कृ.प.ज)

मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रति आपूर्ति के नियम

1. उन पेपरों का सावधानीपूर्वक चयन करें जिनमें अभ्यर्थी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रति चाहता है।
2. आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम घोषित होने के 15वें दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करते समय रोल नंबर, अंक आदि के सत्यापन के लिए अपने वर्तमान प्रवेश टिकट और/या अंक विवरण की फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
4. अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों को संबंधित विभागाध्यक्ष से सत्यापित कराया जाना चाहिए।
5. आवेदन पत्र अभ्यर्थी को स्वयं अपने हाथ से लिखकर तथा स्वयं के हस्ताक्षर से तैयार करना होगा, उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।
6. परीक्षा कार्यालय आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। छात्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उत्तर पुस्तिका की उपलब्धता की सूचना की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त करनी होगी।
7. केवल लिखित एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की प्रति उपलब्ध करवायी जायेगी। खाली पृष्ठों की प्रति नहीं दी जायेगी।
8. यदि किसी छात्र को अंकों के योग में कोई त्रुटि दिखती है या उसे लगता है कि किसी प्रश्न का मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो उसे मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में परीक्षा कार्यालय को सूचित करना चाहिए।
9. कुल त्रुटि या अचिह्नित प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों के अलावा कोई अन्य प्रतिनिधित्व स्वीकार्य नहीं होगा।
10. **निर्धारित शुल्क:** परीक्षा कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक तथा अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक विश्वविद्यालय कैशियर के पास 100/- रुपये प्रति पेपर (50/- डाक व्यय यदि कोई है तो) जमा कराना होगा।



आवेदन पत्र को विवरणों के सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से स्वीकार किया जा रहा है

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

परिणामों में सुधार के लिए आवेदन-पत्र

यह आवेदन-पत्र केवल अभ्यर्थी द्वारा ही भरा और हस्ताक्षरित किया जाना है। अभ्यर्थी की ओर से छोड़ा गया आवेदन, या अधूरा आवेदन, बिना किसी संदर्भ के तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

2. अभ्यर्थी का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री.....
3. पिता/माता का नाम:
4. विश्वविद्यालय परीक्षा. रोल नं.
5. परीक्षा/पाठ्यक्रम:..... भाग I/II/III
6. सेम./वार्षिक/सप्लीमेंट: वर्ष:..... पास/फेल:.....
 - ❖ परीक्षा पत्र सं.....
 - ❖ ऐपर का शीर्षक.
 - ❖ जो लागू हो उसे टिक करें:-
 - कुल त्रुटि
 - अचिह्नित प्रश्न. (अचिह्नित प्रश्नों का विवरण दें)

नोट:- आपको उपलब्ध कराई गई पूर्ण उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी संलग्न करें।

पता:.....

पिन कोड:.....

दूरभाष सं./मोबाइल.....

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)